

15752



28

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

230641

Handwritten notes in Hindi on the left side of the page, including '34310', '450000', '420000', and '930000'.



विक्रय विलेख

- | | |
|----------------------|---|
| 1. भूमि का प्रकार | : आवासीय |
| 2. वार्ड/ परगना | : नगवां / देहात अमानत |
| 3. मोहल्ला/ग्राम | : ककरमत्ता |
| 4. सम्पत्ति का विवरण | : आराजी नं० 521/1 जिसका नगर निगम में मकान नं०- एन० 10/79-पी-4 |
| 5. मापन की ईकाई | : वर्गमीटर |



Handwritten signature in Hindi.

Handwritten signature in Hindi.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

230642

2

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 1105 वर्गफीट यानि
102.7 वर्गमीटर |
| 7. सड़क की स्थिति | : प्रस्तावित कच्चा रास्ता |
| 8. अन्य विवरण | : कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | : खुली जमीन |
| 10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल
(बहुमंजिला भवन की स्थिति में) | : कुछ नहीं |
| 11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल | : कुछ नहीं |
| 12. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य | : कुछ नहीं |
| 13. पेड़ों का मूल्यांकन | : कुछ नहीं |
| 14. बोरिंग/कुआं/अन्य | : कुछ नहीं |
| 15. निर्मित क्षेत्रफल | : कुछ नहीं |
| 16. निर्माण का वर्ष | : कुछ नहीं |
| 17. सहकारी आवास समिति के
सदस्य से सम्बन्धित है | : नहीं |
| 18. प्रतिफल की धनराशि | : मु0 4,50,000/- रुपये |
| 19. सरकारी मालियत | : मु0 4,73,000/- रुपये |
| 20. स्टाम्प | : मु0 33,110/- रुपये |

(Signature)

(Signature)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 230643

3

चौहद्दी :-

- पूरब:- जमीन सत्या तिवारी।
पश्चिम:- जमीन द्वितीयपक्ष क्रेता।
उत्तर:- जमीन सोनू वगैरह।
दक्षिण:- प्रस्तावित कच्चा रास्ता।

प्रथमपक्ष की सं० (1)

प्रथमपक्ष/विक्रेता

अमरनाथ तिवारी पुत्र स्व०
रणजीत तिवारी निवासी ग्राम
ऐबकपुर मोहाना, परगना हवेली,
तहसील चुनाद, जिला मिर्जापुर।

द्वितीय पक्ष की सं० (1)

द्वितीय पक्ष/क्रेता

दीपक कुमार सिंह पुत्र स्व०
मोहन सिंह निवासी मकान नं०-
एन० 14/25, सरायनन्दन,
सुन्दरपुर, शहर वाराणसी।

विदित हो कि सम्पत्ति निम्नलिखित जिसका पूर्ण विवरण इस लेखपत्र के अन्त में दर्ज है, तनहां सम्पत्ति प्रथमपक्ष विक्रेता की है, जिसे प्रथमपक्ष विक्रेता ने जरिये बैनामा नविश्ता जगत राम शर्मा से दिनांक 30.09.2009 ई० को हासिल किया है जिसका बही नं० 1 जिल्द सं०

Emprand

Deccan



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

231442

4

3855 पृष्ठ सं० 243/272 पर क्रमांक 4211 पर दिनांक 30.09.2009 ई० को रजिस्ट्रीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेता सम्पत्ति निम्नलिखित का तनहां स्वामी है और बतौर स्वामी काबिज दखील चला आ रहा है उसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल सरीक नहीं है, न हिस्सेदार है और न किसी अन्य का कब्जा दखल ही है तथा जिसे हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष को हासिल है। चूंकि प्रथमपक्ष को रुपये की सख्त आवश्यकता वास्ते करने मकान मरम्मत व निज दीगर खर्च गृहस्थी के दरपेश है बिला सम्पत्ति निम्नलिखित को विक्रय किये रुपये का मिलना व जरूरत का पूरा होना सम्भव नहीं है फलस्वरूप प्रथमपक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय करने की बातचीत आसपास के लोगों से चलाया तथा जिसे खरीदने के लिए द्वितीयपक्ष तैयार है और सबसे अधिक कीमत मु० 4,50,000/- रुपये (चार लाख पचास हजार रुपया) जिसका आधा मु० 2,25,000/- (दो लाख पचीस हजार रुपया) होता है, दे रहे हैं जो बाजार भाव से सही व उचित है इतना या इससे अधिक कीमत अन्य व्यक्ति देने को तैयार

Emmanuel

Deem 24/10/09



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 230653

5

नहीं है तथा कीमत मजकूर प्रथमपक्ष को स्वीकार भी है अस्तु प्रथमपक्ष स्वस्थ चित्त मस्तिष्क से बिना किसी नाजायज जोर दबाव प्रभाव के खूब सोच समझकर यह विक्रय पत्र बहक दीपक कुमार सिंह पुत्र स्व० मोहन सिंह निवासी मकान नं०- एन० 14/25, सरायनन्दन, सुन्दरपुर, शहर वाराणसी द्वितीयपक्ष तहरीर कर अपने व अपने उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द करता है:-

1. यह कि विक्रय शुदा सम्पत्ति की कुल कीमत मु० 4,50,000/- रुपये (चार लाख पचास हजार रूपया) बजरिये बैंक ड्राफ्ट नं० 416523 यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा कैण्टोमेन्ट, वाराणसी दिनांकित 02.11.2011 ई० समक्ष सब रजिस्ट्रार महोदय वाराणसी बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा द्वितीयपक्ष/क्रेता से प्रथमपक्ष को प्राप्त हो रहा है, अब एक भी पैसा जिम्मे द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष का बाकी नहीं रह गया है।
2. यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति से प्रथमपक्ष ने अपना कब्जा दखल हटा कर उस पर वाकई कब्जा दखल द्वितीयपक्ष का करा दिया है।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 230654

6

द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह सम्पत्ति विक्रयशुदा पर कालिज दखील रहकर जो फेल मालिकाना चाहे अमल में लावे, इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आइन्दा होगी।

3. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा में जो-जो हक व अधिकार प्रथमपक्ष को हासिल थे वह सभी हक व अधिकार आज की तारीख से द्वितीयपक्ष को हासिल हो गये। द्वितीयपक्ष को अधिकार है कि वह सम्पत्ति विक्रय शुदा से प्रथमपक्ष का नाम खारिज कराकर उसकी जगह अपना नाम मुन्दर्ज कागजात सरकारी करा लेवेगा। इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आइन्दा होगी।
4. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा हर प्रकार के वारदेन से पाक व साफ है, कहीं रेहन ख्वाह सद्दा या बैनामा आदि किसी अन्य के पक्ष में तहरीर नहीं हुआ है, और न कहीं जेर जमानत व जेर मुकदमा ही है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940898

7

5. यह कि यदि किसी कारण वश सम्पत्ति विक्रय शुदा पर किसी प्रकार का कोई वार देन पाया जावे या द्वितीयपक्ष के कब्जा दखल में किसी प्रकार की दिक्कत पड़े या कब्जा दखल से निकल जावे तो ऐसी सूरत में द्वितीयपक्ष को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य व रजिस्ट्री खर्च मय सूद 2/- रुपया सैकड़ा माहवार की दर से प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवेगा, इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है और न आईन्दा होगी।
6. यह कि विक्रयशुदा आराजी नम्बर 521/1 पर नगर निगम वाराणसी द्वारा मकान नं० - एन० 10/79-पी-4 पड़ा है।
7. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति मौके पर आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय विक्रय हो रहा है, कदापि औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजन हेतु क्रय विक्रय नहीं हो रहा है।
8. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति पक्की सड़क व पत्थर चौका मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि अन्य स्थान कच्चा रास्ता पर स्थित है।

Zamindar

Deewan 164



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940899

8

विक्रयशुदा सम्पत्ति खुली भूमि है जिसमें कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रीत सम्पत्ति दो तरफ से बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुई है।

9. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति शहरी सीलिंग एक्ट की धारा 10(3) व 10(5) से प्रभावित नहीं है, और न किसी महायोजना में अधिगृहत ही की गयी है।
10. यह कि प्रथमपक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं है।
11. यह कि सम्पत्ति विक्रयशुदा के बाबत कोई सट्टा पूर्व में तहरीर नहीं हुआ है।
12. यह कि विक्रयशुदा सम्पत्ति का क्षेत्रफल 102.7 वर्गमीटर है, जिसकी सरकारी मालियत 4600/- रुपये प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से मु0 4,73,00/- रुपये आ रही है, इसलिये 70/- रुपये प्रति हजार के हिसाब से मु0 33,110/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940900

9

13. यह कि प्रथमपक्ष ने इस दस्तावेज बैनामा को पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर स्वस्थ वित्त मस्तिष्क से तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों पर है और भविष्य में भी होगी।

अस्तु यह दस्तावेज बतरीक बैनामा के तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति

भूमिधरी आराजी नं० 521/1 जिसका नगर निगम में मकान नं०- एन० 10/79-पी-4 रकबा 1105 वर्गफीट यानि 102.7 वर्गमीटर सम्पूर्ण वैधानिक अंश जो 65 फीट लम्बा उत्तर-दक्षिण हरदो जानिब व 17 फीट चौड़ा पूरब-पश्चिम हरदो जानिब है, स्थित मौजा व मुहल्ला ककरमत्ता, परगना देहात अमानत, वाई नगवां, तहसील सदर, जिला वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से

Signature

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203284

10

जाहिर किया गया है जो बैनामे का अंग है, तथा जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

पूरब:- जमीन सत्या तिवारी।

पश्चिम:- जमीन द्वितीयपक्ष क्रेता।

उत्तर:- जमीन सोनू वगैरह।

दक्षिण:- प्रस्तावित कच्चा रास्ता।

गवाहान-

1. पूरा नाम Shiv Mohan Dixit
पिता का नाम - K. H. Dixit
पूरा पता K 67/01 - B. Bharat malarp cealcey vora
हस्ताक्षर- [Signature]
2. पूरा नाम Rupesh Sharma
पिता का नाम Ramesh Sharma
पूरा पता B 21/96 A - Kamachha .varanasi
हस्ताक्षर- [Signature]

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AB 519593

11

तहरीर दिनांक- 03.11.2011 ई०

मसविदाकर्ता:- R.K. Jaiswal
3.11.11
राजेश कुमार जायसवाल, एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाइपकर्ता :- M. K. Jaiswal
मन्मोज इलेक्ट्रिस्ट
कलेक्ट्रेट कोर्ट वाराणसी।

M. K. Jaiswal



R. K. Jaiswal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 940901

12

नोट- विक्रय शुदा सम्पत्ति की सरकारी मालियत मु0 4600/-
रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से मु0 4,73,000/- रुपये व दो

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203286

13

तरफ से 3 फीट बाउण्ड्रीवाल की कीमत मु0 17,000/- रुपये
यानि कुल मालियत मु0 4,90,000/- रुपये आ रही है जिस पर

Emmanuel
Document



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 203287

14

आवश्यक स्टाम्प मु0 34,300/- रुपये का अदा किया जा रहा है।


टाइपकर्ता :-

Sajy
मनोज इलेक्ट्रोस्टेट
क्लेक्ट्रेट कोर्ट वाराणसी।



भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 (1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता / विकेता / क्रेता
दाहिने हाथ



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

बायें हाथ का



अंगुष्ठिका



तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

हस्ताक्षर *[Handwritten Signature]*

नाम निष्पादन कर्ता / विकेता / क्रेता

दायें हाथ का



अंगुष्ठिका




तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका

बायें हाथ का



अंगुष्ठिका




तर्जनी



मध्यमा



अनामिका



कनिष्ठिका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AB 519592

नक्शा नजरी

भूमिधरी आराजी नं० 521/1 जिसका नगर निगम में मकान नं०- एन० 10/19-पी-4
रकबा 1105 वर्गफीट यानि 102.7 वर्गमीटर सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा व
मुहल्ला ककरमत्ता, परगना देहात अमानत, बाई नगवां, तहसील सदर, जिला वाराणसी



Signature



Signature



Signature
Drafted by
Manoj Electrobstate
C.B.A. Building

